राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220872, 2224755 फैक्स नं.:2224754, E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.12(31)/ग्रा.वि/बी.एफ.ए/पंजीकरण/जांच/2020/2063 दिनांक : 16 MAR 2022

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य में बायोडीजल बिक्री हेतु मानक प्रक्रिया संहिता (SOP) लागू किए जाने बाबत्।
संदर्भ : शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी मानक प्रक्रिया संहिता (SOP) दिनांक 10.03.2022

महोदय,

राज्य में अवैध/नकली डीजल की बिक्री एवं बायोडीजल के नाम पर बेस ऑयल, इण्डस्ट्रीयल फ्यूल, ट्रान्सफार्मर फ्यूल आदि की बिक्री एवं गडबडी को रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 10.03.2022 को संलग्न मानक प्रक्रिया संहिता (SOP) जारी की गई है।

कृपया आप अपने जिले में उक्त जारी की गयी मानक प्रक्रिया संहिता (SOP) के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने हेतु जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला रसद अधिकारी, समस्त उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस उप अधीक्षकों एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों तथा तहसीलदारों को निर्देशित करें।

(डॉ. के.के. पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
4. पंजीकृत बायोडीजल उत्पादक/विक्रेता, समस्त।
5. सलाहकार (आई.टी.), कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

16/3/2022

सी.ई.ओ. एवं परि. निदेशक
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

f:\bio fuel ajay\inspection report registration\letters registration.docx

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 63(3)खा.वि./पेट्रो./बायोडीजल/टास्क फोर्स/2021 जयपुर, दिनांक : १०|०३|२२

"राज्य में अवैध/नकली डीजल की बिक्री एवं बायोडीजल के नाम पर बेस ऑयल, इण्डस्ट्रीयल फ्यूल, ट्रान्सफार्मर फ्यूल आदि की बिक्री एवं गड़बड़ी को रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु जारी मानक प्रक्रिया संहिता (SOP (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का प्रारूप।

भारत सरकार के ऊर्जा आयात एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बायोडीजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 अप्रेल,2019 को अधिसूचना जारी कर बायोडीजल को रिटेल आउटलेट के माध्यम से भी रिटेल विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर दिनांक 06.05.2019 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। (परिशिष्ठ–एक)

वर्तमान में राज्य में बायोडीजल का उत्पादन करने वाली 11 कम्पनियां है जो कि जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली एवं अन्य जिलों में स्थित है। इनकी प्रतिदिन बायोडीजल उत्पादन क्षमता 4.20 लाख लीटर है। इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम एवं भारत पैट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा बायोडीजल क्रय कर खनिज डीजल में 5 प्रतिशत तक मिश्रण किया जा रहा है।

राज्य में बायोडीजल के उत्पादन, विक्रय आदि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत **"बायोफ्यूल प्राधिकरण"** का गठन किया गया है। बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के अन्तर्गत राज्य में 11 बायोडीजल विनिर्माताओं 9 थोक उपभोक्ताओं व 88 खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण किया गया है। (सूची संलग्न–परिशिष्ठ–दो)

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में अनाधिकृत रूप से बायोडीजल के नाम पर अन्य फ्यूल जैसे बेस ऑयल, इन्डस्ट्रियल फ्यूल, ट्रान्सफार्मर फ्यूल/ पेराफिन आदि की बिक्री, अवैध/नकली डीजल की बिक्री एवं सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों से तस्करी के माध्यम से अवैध व नकली डीजल लाकर राज्य में बेचा जा रहा है जिससे राज्य में बायोडीजल की बिक्री व राज्य को राजकोष की हानि हो रही है। इस प्रकार के अनाधिकृत कार्यो की रोकथाम एवं अनाधिकृत बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण, खाद्य विभाग, गृह (पुलिस) विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही को निम्न प्रक्रिया अपनायी जाकर और प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे राज्य में हो रही इन अनैतिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाकर दोषियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधान/कानून एवं निरीक्षण,तलाशी, जब्ती हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्थिति निम्नानुसार हैं:–

विधिक प्रावधान / कानून –

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 व भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 285 के तहत कार्यवाही।
- मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्यवाही।
- राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के तहत कार्यवाही।
- भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.05.2019 के तहत कार्यवाही।
- राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.11.2021 के तहत कार्यवाही।

निरीक्षण, तलाशी एवं जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी–

- खाद्य विभाग के जिला रसद अधिकारी।
- राजस्व विभाग के तहसीलदार या उससे उपर समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
- गृह विभाग के पुलिस उप–अधिक्षक एवं उनसे उपर के समस्त पुलिस अधिकारी।
- ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारी।
- मुख्य कार्याकारी अधिकारी (जिला परिषद– बायोफ्यूल के संबंध में)।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के तहत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा –

I. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट संबंधित जिले में ही स्वयं के चिहिन्त स्थान पर / किराये के स्थान पर / लीज के स्थान पर / उपभोक्ता के स्थान पर ही बायोडीजल (बी–100) की रिटेल बिक्री करने हेतु अधिकृत है अर्थात् रोड साईड / सार्वजनिक स्थान पर रिटेल बिक्री करने हेतु अधिकृत नहीं है। यह सुनिश्चित किया जायेगा।

II. बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत बाउजर / वाहन पर 1 फीट लम्बा व 1 फीट चोड़ा चारों तरफ जिस जिले के लिए स्वीकृत है उस जिले का नाम, उसके वितरण के अधिकारिता क्षेत्र एवं अनुज्ञा पत्र के नम्बर का प्रदर्शन होना सुनिश्चित किया जायेगा।

III. पंजीकृत बायोडीजल मोबाइल / स्थायी रिटेल आउटलेट के संबंध में संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर / नियमित जांच करने पर संबंधित रिटेल आउटलेट के पंजीकरण से संबंधित निम्न समस्त दस्तावेजों की जांच की जानी है:–

a. बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र मय वैध अवधि एवं जिला।
b. अधिकृत बायोडीजल विनिर्माता से ही बायोडीजल क्रय करने के बिल।
c. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल / स्थायी रिटेल आउटलेट द्वारा माप तौल की जांच करने हेतु संबंधित विक्रेता के पास प्रमाणित किया हुआ 5 लीटर का जार।

d. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल /स्थायी रिटेल आउटलेट द्वारा अंतिम तीन खरीद के सेम्पल मय स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर।

e. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल /स्थायी रिटेल आउटलेट के पास उपलब्ध ए. टी.जी प्रणाली सुचारू रूप से संचालन।

f. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल / स्थायी रिटेल आउअलेट के बिक्री स्थान /वाहन पर बायोडीजल (बी–100) बी.आई.एस. मानक मय अनुमत जिला का अंकन।

g. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल / स्थायी रिटेल आउअलेट से संबंधित अन्य दस्तावेज।

h. बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट के पुर्नभरण हेतु इस विभाग द्वारा जारी अतिरिक्त भण्डारण का अनुमति पत्र। (यदि अतिरिक्त भण्डारण अनुमत है)

IV. बायोडीजल की गुणवत्ता में सन्देह होने की अवस्था में निम्नानुसार कार्यदाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. नोजल के न्यूनतम 1 लीटर के तीन सेम्पल लिया जाकर दो सेम्पलों को नियमानुसार सील करते हुए संबंधित विक्रेता के हस्ताक्षर सहित मय मौका रिपोर्ट अनिवार्य रूप से बायोफ्यूल प्राधिकरण में ही जांच हेतु भिजवाया जाये शेष एक सेम्पल को संबंधित विक्रेता को सौपा जाएगा।
2. पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल/ स्थायी रिटेल आउटलेट की जांच उपरांत मौका रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट की प्रति संबंधित विक्रेता को भी उपलब्ध कराई जाये।
3. विक्रेता के सेम्पल की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही तदानुसार तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाये।

V. किसी भी पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल/ स्थायी रिटेल आउटलेट की पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर यदि वह बिक्री करता हुआ पाया जाता है उस स्थिति में संबंधित विक्रेता के विरूद्ध जब्त (seize) की कार्यवाही अमल में लायी जाये।

VI. बिन्दु संख्या (V) के सिवाय अन्य पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल/ स्थायी रिटेल आउटलेट को, सेम्पल जांच रिपोर्ट आने तक पाबंद /सील/ एफ.आई.आर. /जब्त (seize) की कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाये

उपरोक्त अवैध गतिविधियों के सम्बन्ध में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 100 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप जांच/तलाशी प्रक्रिया निम्नानुसार अमल में लाई जायेः–

1. सभी संबंधित विभाग यथा वाणिज्यिक कर विभाग, पुलिस प्रशासन, बायोफ्यूल प्राधिकरण, खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान के अधिकारी, ऑयल कम्पनी को सूचना देकर मौके पर बुलाया जाना चाहिये।
2. फर्द मौका – मौके की समस्त स्थितियां/फोटोग्राफ/विडियों रिकॉर्डिंग आदि तैयार करना।

3. उत्पाद क्या है? कितना है? स्थान की पूर्ण जानकारी कहां से क्रय किया है व कहां विक्रय किया जाना है, से संबंधित समस्त दस्तावेज, ब्रिल, बाउचर आदि लेने की कार्यवाही करना।
4. डेन्सिटी /तापमान की जांच – धनत्व माप प्रपत्र– 1 पर सलंग्नानुसार ली जानी चाहिये।
5. संदिग्ध पाये जाने पर – पदार्थ का संदिग्ध पाये जाने पर सेम्पल लेना। सेम्पल विधि प्रपत्र– 2 के अनुसार डीलज के लिए 3, पैट्रोल के लिए 6 व अन्य फ्यूल के लिए 3, सेम्पल (1 लीटर के एल्यूमिनियम पात्र में) लेकर तेल कम्पनी की प्रयोगशाला में प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।
6. फर्द पूछताछ/बयान – मौके पर उपस्थिति व्यक्ति/ चालक के बयान दर्ज करने है।
7. आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के प्रावधानों का उल्लधंन पाये जाने पर फर्द जब्ती/ अभिग्रहण – उत्पाद की मात्रा की गणना मय बारदाना एवं संबंधित साक्ष्यो के साथ जब्ती करनी है। (प्रपत्र–1)
8. फर्द सुपुर्दगी – उत्पाद/बारदाने के मूल्य का आंकलन कर वाहन की पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पुलिस व अनुज्ञापनधारी को देनी है।(प्रपत्र –2)
9. पंचनामा – पुलिस द्वारा जब्त करने पर थाने पर लाकर पंचनामा बनाया जाना है।
10. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज– आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 में पुलिस विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
11. मौका नक्शा – जांच अधिकारी द्वारा गवाहों के साथ मौके पर/घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा बनाया जायेगा।
12. 6–ए का प्रार्थना पत्र पेश– जब्ती अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6–ए के तहत संबंधित न्यायालय/जिला कलेक्टर के पास प्रार्थना पत्र लगाना एवं अंतरिम निस्तारण का आवेदन किया जायेगा।
13. जांच का दायरा– जांच अधिकारी द्वारा क्रेता/विक्रेता/ फाइनेंसर/ भण्डारण कर्ता/ परिवहनकर्ता एवं अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिये।
14. सेम्पल की जांच– जब्त सेम्पल को अधिकृत ऑयल कम्पनी की प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाना चाहिये।(प्रयोगशाला की सूची मय नाम व पता सलंग्न प्रपत्र–3)
15. जांच रिपोर्ट – ऑयल कम्पनी की लैब से 7 दिवस में स्पष्ट रिपोर्ट की जानी अपेक्षित है।
16. चालान पेश करना – ऑयल कम्पनी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा 45 दिवस में चालान पेश कर सक्षम न्यायालय से दण्डित कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(नवीन जैन)
शासन सचिव (खाद्य) विभाग

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस / एसओजी, राजस्थान, जयपुर, अपोजिट वायरलेस पुलिस लाइन, घाट गेट, आगरा रोड़, जयपुर। E-mail: adgp-ats-rj@nic.in.
7. अतिरिक्त आयुक्त प्रवर्तन, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन अम्बेडकर सर्किल, जयपुर। E - mail : acct-ae@rajasthan.gov.in
8. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. उपायुक्त (प्रथम), खाद्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य कार्यकारी निदेशक, पदेन, संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, (बायोफ्यूल प्राधिकरण), तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, राज.।
13. कार्यकारी निदेशक, एवं राज्य स्तरीय समन्वयक, इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर, राजस्थान।
14. समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
15. श्री सुनीत बगई, अध्यक्ष, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, ई– 565, लाल कोठी स्कीम, टोंक रोड़, जयपुर – 302015। E-mail: rajasthanpetroleum.d.association@gmail.
16. श्री विपिन परिहार, राजस्थान बायोडीजल निर्माता व डीलर्स एसोसिएशन, जौधपुर, 10– Stilt floor, Umaid Haritage, Defence Lab Road, Ratanada, Jodhpur. Email – vipin.parihar@speedwavefuel.com
17. रक्षा पत्रावली।

15/3/22

(अनिल कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

परिशिष्ट—एक

सत्यमेव जयते

P-13039(18)/1/2018-CC (P-26825)
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas
(Conservation Cell)

Shastri Bhawan, New Delhi-1
Dated: 06th May, 2019

To,
Chief Secretaries/Administrators,
All the States and Union Territories

Subject: "Guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes-2019"

The undersigned is directed to state that this Ministry's Notification No. F.No. P-13039(18)/1/2018-CC (P-26825) dated 30.04.2019 on the above captioned subject has been published in the Extraordinary Gazette of India on 01.05.2019.

2. A copy of the same is enclosed for information and further appropriate action at your end.

Yours faithfully,

S.P. Agarwal

(S.P. Agarwal)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 23388652
Email: ussp.png@nic.in

Encl. As above.

Copy to:

1. Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
2. Secretary , Ministry of New and Renewable Energy
3. Chairman IOC, C&MD BPC /HPC
4. Director Marketing IOC/BPC/HPC
5. All State Biofuel Boards
6. President, BDAI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941
No. 132] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

फा.सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 के मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियम और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में संशोधन करने के लिए दिनांक 29 जून, 2017 को राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 728(अ) जारी की है। संशोधित आदेश के खंड 6 (ए)1 में यह उल्लिखित है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं के अनुसरण में सभी उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए जैव-डीजल (बी-100) का सीधा विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव-डीजल की बिक्री के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करती है।

3 (i) इन दिशा-निर्देशों को "परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019" कहा जाए।

(ii) उपर्युक्त दिशा-निर्देश समस्त भारत पर लागू होंगे।

(iii) इसमें निहित दिशा-निर्देश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

4. दिशा-निर्देशों का पाठ संलग्न है।

"परिवहन प्रयोजन हेतु हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव-डीजल की बिक्री हेतु दिशा-निर्देश, 2019"

i. जैव डीजल (बी-100) की खुदरा बिक्री हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (जहां इस खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की जानी है) के नागरिक आपूर्ति विभाग/अन्य विभाग, जिसे इस कार्य के लिए संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करने होंगे।

ii. यह अनुमति केवल जैव डीजल (बी-100) की बिक्री के लिए होगी और न कि जैव डीजल मिश्रण (किसी भी प्रतिशतता में) के लिए होगी।

iii. जैव डीजल की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना की अनुमति संबंधित केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित/स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों, जहां खुदरा बिक्री केन्द्र स्थित है, से संबंधित अनुलग्नक तथा उसमें उल्लिखित अन्य संबंधित प्राधिकारणों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्रों की शर्त पर निर्भर करेगी।

iv. इस अनुमति को जैव डीजल के बिक्री वाले स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

v. उपर्युक्त अनुमति के अनुसरण में बेचे जाने वाला जैव डीजल आयातित न होकर स्वदेशी रूप से उत्पादित होना चाहिए।

vi. ग्राहक के ऑटोमोवाइल टैंक में डीजल के साथ मिश्रण हेतु अनुमोदित जैव डीजल की प्रतिशतता को बोर्डों पर प्रमुखता से अंग्रेजी/हिन्दी तथा क्षेत्र की स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र पर प्रमुखता से यह चेतावनी (उपरोक्त बोर्डों के साथ) प्रदर्शित करनी होगी कि विनिर्धारित प्रतिशतता से अधिक प्रतिशतता में जैव डीजल का इस्तेमाल इंजन को क्षति पहुंचा सकता है।

vii. खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक, आपूर्तिकर्ता के ब्यौरों के साथ साथ सामग्री के खपत और बकाया का रिकार्ड रखेंगे। जैव डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक इस सामग्री रिकार्ड को हर समय खुदरा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध रखेंगे, ताकि कभी भी संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार के किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निरीक्षण किया जा सके।

viii. वायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र के स्वामी/प्रचालक अपने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कम से कम पिछली तीन आपूर्तियों के नमूने रखेंगे ताकि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण और/अथवा जांच की जा सके।

ix. वायो डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र का स्वामी/प्रचालक एक रजिस्टर में वायो डीजल की प्रत्येक बिक्री का स्थायी रिकार्ड रखेगा जिसे दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा और यह हर समय जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक बिक्री के लिए बिल (डुप्लीकेट में) को जारी किया जाएगा जिसमें बेची गई मात्रा, प्रभारित दर और बिक्री की तारीख व समय के ब्यौरे देते हुए वाहन संख्या और ग्राहक का नाम/संपर्क दूरभाष को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। (बिल की एक प्रति ग्राहक के लिए और एक प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र के रिकार्ड के लिए)

x. राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की नियमित जांच करने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को जैव-डीजल सही गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और सीधे ईंधन के तौर पर इसे परिवहन उद्देश्यों से नहीं बेचा जा रहा है। यदि बेचे जा रहे जैव-डीजल (बी100) का कोई नमूना फेल होता है तो राज्य/जिला प्रशासन एमएस (पेट्रोल) और एचएसडी (हाई स्पीड डीजल) की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों (एमडीजी) के अनुरूप प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।

xi. श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू सभी मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी मानदंड जैव-डीजल की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों पर लागू होंगे क्योंकि इसे हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी "बी" पेट्रोलियम उत्पाद है।

xii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैव-डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र केवल बीआईएस मानकों के अनुरूप जैव-डीजल की बिक्री कर रहे हैं और न कि जैव-डीजल और हाई स्पीड डीजल के मिश्रण अथवा केवल डीजल की बिक्री कर रहे हैं, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के मिलावटरोधी प्रकोष्ठ को अनाधिकृत और अवैध जैव-डीजल विनिर्माण संयंत्रों, भंडारण तथा वितरण इकाइयों और खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और अपने कब्जे में लेने का अधिकार है।

xiii. तेल उद्योग की मोबाइल प्रयोगशालाओं के पास भी जैव-डीजल की विक्री करने वाले खुदरा विक्री केन्द्रों, विनिर्माण संयंत्रों, जैव-डीजल के भंडारण और वितरण नेटवर्क के निरीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा।

xiv. अवैध जैव-डीजल आपूर्तिकर्ताओं का इस क्षेत्र में प्रवेश रोकने के उद्देश्य से, जैव-डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए एक उपयुक्त पंजीकरण प्रणाली राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें अपने-अपने संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जैव-डीजल की बिक्री करने वाले सभी खुदरा विक्री केन्द्रों का एक रजिस्टर रखेंगी।

xv. ऐसी कोई अन्य शर्त भी शामिल की जा सकती है जिसे राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अपने संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार जैव-डीजल की विक्री के लिए उपयुक्त समझें।

xvi. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें किसी आवेदक को जैव-डीजल की विक्री के लिए अनुमति नहीं देने से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण निर्दिष्ट करेंगी।

xvii. इन दिशा निर्देशों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

[फा.सं. पी-13039(18)/1/2018-सीसी (पी-26825)]

संदीप पौण्डरीक, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

अपेक्षित पंजीकरण/अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र:

i. जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा विक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है।

ii. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस, यथा अपेक्षित।

iii. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

iv. संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के माप-तौल विभाग

v. संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग

vi. जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र

vii. राज्य जैव ईंधन बोर्ड (जहां कहीं अस्तित्व में हैं)

viii. जीएसटी पंजीकरण

ix. अग्निशमन विभाग

x. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम

xi. संबंधित राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2019

F.No.P-13039(18)/1/2018-CC(P-26825).—Ministry of Petroleum & Natural Gas has issued Gazette notification No. GSR 728 (E) on 29th June 2017 for amending the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order dated 19th December 2005. Clause 6 (A) 1 of the amended order states that the Central Government may permit the direct sale of Biodiesel (B100) for blending with high speed diesel to all consumers, in accordance with the specified blending limits and the standards specified by the Bureau of Indian Standards.

2. In pursuance of the above, the Central Government hereby notifies the following guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes.

3. (i) These guidelines may be called the **"Guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes-2019."**

(ii) The above guidelines shall extend to the whole of India.

(iii) The guidelines contained herein will come into force from the date of their publication in the Gazette and remain in force until further orders.

4. The text of the guidelines is annexed.

"Guidelines for sale of Biodiesel for blending with high speed diesel for transportation purposes-2019"

i. Application for permission for retail sale of Biodiesel (B-100) through an outlet by an entity shall be made to the Food and Civil Supplies Department/any other Department authorised for the same by the State/UT Government of the concerned State/UT, where the Retail Outlet is to be set up.

ii. The permission will be granted exclusively for sale of biodiesel (B-100) only and not for any mixture thereof of whatever percentage.

iii. Permission for setting up the retail outlet for sale of biodiesel would be subject to the Registration/Approvals/No Objection Certificates as per **Annexure** from the respective Central/State/UT/Local Government/Authorities in which the retail outlet is located and other concerned authorities mentioned therein.

iv. This permission will be displayed prominently at the point of sale of Biodiesel.

v. Biodiesel to be sold in pursuance of aforesaid permission should be indigenously produced and not imported.

vi. Separate boards in English/Hindi and Vernacular language of the region should be prominently displayed at the biodiesel retail outlet displaying the percentage of Biodiesel allowed to be blended with diesel in the customer's automobile tank. Also, there should be clear warning displayed at the biodiesel retail outlet (with above board) that usage of biodiesel with percentage exceeding the prescribed percentage can cause damage to the engine.

vii. Owner/Operator shall maintain the material balance along with supplier details. The biodiesel retail outlet owner/operator shall make available the same at the retail outlet at all times for inspection by any authority authorised for the purpose either by the concerned State/UT Government and /or Central Government.

viii. Biodiesel retail outlet owner/operator shall retain samples of at least last three supplies received by them from their suppliers for inspection and/ or testing by any authority authorised for the purpose, as above.

ix. The biodiesel retail outlet owner/operator shall maintain a permanent record of each and every sale of biodiesel made by it in a register which would be updated on a daily basis and be available for inspection at all times. Additionally issuing of bill (in duplicate) for each sale, clearly showing vehicle number and customer name/contact number giving details of quantity sold, rate charged and date and time of sale would be mandatory. (One copy for customer and one for Retail Outlet record.)

x. State Government authorities shall have the power to carry out regular inspections of the retail outlets selling biodiesel to ensure that the biodiesel is being made available to the customer in the right quality and quantity, and is not being sold as a standalone fuel for transportation purposes. In case of any sample failure of Biodiesel (B100) being sold, State/ District Administration shall proceed with administrative action on the analogy of the Marketing Discipline Guidelines (MDG) for retails Outlets selling MS (Petrol) and HSD (High Speed Diesel).

xi. All volume and safety distance norms applicable for Class B Petroleum Products shall be applicable for pumps selling Biodiesel as it is meant for blending with High Speed Diesel which is a Class B Petroleum Product.

xii. To ensure that the Retail Outlets of Biodiesel are selling only Biodiesel conforming to BIS Standards and not mixture of Biodiesel and Diesel or only Diesel, anti-adulteration cells of Public Sector Oil Marketing Companies along with State Government officials are empowered to inspect, search and seize unauthorized and unscrupulous Biodiesel manufacturing plants, the storage and distribution units and Retails Outlets.

xiii. Mobile labs of Oil Industry will also have the jurisdiction to cover retail outlets selling Biodiesel, manufacturing plants, storage and distribution network of Biodiesel.

xiv. To avoid entry of unscrupulous biodiesel suppliers, a suitable registration system for biodiesel manufactures, suppliers and sellers will be devised at the State/UT Level. Further, State/UT Governments shall maintain a register of all Retail Outlets selling Biodiesel in their respective State/UT

xv. Any other conditions, which the State/UT Government may deem appropriate for sale of biodiesel as per the prevailing conditions in their respective State/UTs may also be included.

xvi. State/ UT Governments would designate an Appellate Authority to redress complaints related to denial of permission for sale of biodiesel to an applicant.

xvii. Any clarifications in respect of these guidelines shall be made by the Central Government.

[F.No. P-13039(18)/1/2018-CC (P-20825)]

SANDEEP POUNDRIK, Jt. Secy.

Annexure

Registration/Approvals / NOCs required:

i. District Magistrate/District Commissioner on similar lines as is being done for Retail Outlets of Public Sector Oil Marketing Companies

ii. Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO) license, as required

iii. National/State Highway Authorities

iv. Weights and Measures Department of the respective State/UT

v. Food and Civil Supplies Department of the respective State/UT

vi. Land use certificate of commercial land from District Administration

vii. State Biofuel Boards(wherever existing)

viii. GST Registration

ix. Fire Department

x. Shops and Establishments Act

xi. Environmental Clearance from the Pollution Control Board of the respective State/UT

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.01 16:30:18 +05'30'

पेट्रोल/डीजल का घनत्व मापने की विधि

आवश्यक उपकरण और रिकार्ड :

- हाइड्रोमीटर जार (500 मिलीलीटर क्षमता)
- हाइड्रोमीटर - ईंधन के घनत्व को नापने के लिए कांच की ट्यूब का उपकरण जिसका तल भारी रखा जाता है और जो उत्पाद के घनत्व के आनुपातिक स्तर तक तरल में डूब जाता है। (आर्किमिडीज सिद्धांत) हाइड्रोमीटर का कैलिब्रेशन इस तरह से किया जाता है कि किसी दिए गए तापमान के घनत्व को निर्धारित किया जा सके। पेट्रोल और डीजल के घनत्व अलग-अलग होने के कारण इनके हाइड्रोमीटर अलग-अलग होते है। जिनकी घुंडी पर घनत्व की रेंज लिखी होती है। पेट्रोल के हाइड्रोमीटर की रेंज 700-750 या 750-800 तथा डीजल के हाइड्रोमीटर की रेंज 800-850 या 850-900 के होते है।
- थर्मामीटर
- ASTM टेबल (American Society for Testing and Materials) - आमतौर पर उत्पादों के घनत्व का उल्लेख 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर kg/m^3 में किया जाता है। अतः टेस्ट के दौरान ली गयी रीडिंग को ASTM टेबल की सहायता से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तित किया जाता है। यदि 10000 लीटर पेट्रोल का वजन 7502 kg है, तो पेट्रोल का घनत्व के 7502 kg $/10m^3$, या 719.7 kg/m^3 लिखा जायेगा।
- रिटेल आउटलेट का घनत्व रजिस्टर या डिपो से आपूर्ति किए गए लोड का डिलीवरी चालान।

नोट- यह उपकरण और रिकार्ड सभी रिटेल आउट लेट पर उपलब्ध होते हैं

----****----

STEP 1 - उत्पाद (पेट्रोल या डीजल) को एक साफ़ 500 मिलीलीटर के हाइड्रोमीटर-जार में ¾ भरें। साफ़ करने के लिए जिस उत्पाद का घनत्व लिया जाना है उसी उत्पाद से जार को धो लें।

STEP 2 - जार में भरे उत्पाद की सतह पर हाइड्रोमीटर रखे और उत्पाद में डूबने दें।

STEP 3 - जार में की उत्पाद की सतह पर हाइड्रोमीटर को स्थिर होने दे। यदि कमरे में पंखा चालू हो तो बंद करे। यदि जार में हवा के बुलबुले हो तो इन्हें हटाने के लिए हाइड्रोमीटर को स्पिन करें और उत्पाद की सतह पर हाइड्रोमीटर की स्थिति को स्थिर होने दें।

STEP 4 - हाइड्रोमीटर का रीडिंग देखने के लिए जार में भरे उत्पाद की सतह के स्तर पर आँखों को लाकर और हाइड्रोमीटर के पैमाने पर उत्पाद की सतह के स्तर के माप का अंकन करें।

STEP 5 - उत्पाद का घनत्व तापमान के साथ बदलता रहता है। अतः थर्मामीटर से तापमान रिकार्ड करें। थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक जार में पकडे रखें ताकि थर्मामीटर के पारे की घुंडी जार की सतह से टकरा कर टूटे नहीं। लगभग एक मिनट उत्पाद में रख कर रीडिंग लेवे। ध्यान रखे किसी समय पेट्रोल और डीजल का तापमान लिए जाने पर पेट्रोल का तापमान डीजल के तापमान से अपेक्षाकृत कम रहता है।

STEP 6 - टेस्ट के दौरान ली गयी तापमान और घनत्व की रीडिंग के आधार पर उत्पाद का घनत्व 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर kg/m^3 (kilogram / cubic meter) में ASTM टेबल की सहायता परिवर्तित करें।

STEP 7 - परिवर्तित रीडिंग की तुलना रिटेल आउटलेट (RO) पर डिपो से आपूर्ति किए गए प्रत्येक लोड के डिलीवरी चालान पर अंकित घनत्व से या रिटेल आउटलेट पर संधारित घनत्व रजिस्टर में जांच के समय-समय दर्ज घनत्व से करें।

STEP 8 - तुलना पर यह अंतर +/- 3 से अनधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक की अंतरभिन्नता उत्पाद में अपमिश्रण को दर्शाती है। जिस पर बिक्री पर रोक लगाई जाकर उत्पाद का नमूना लिया जाकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है।

उदाहरण-

उत्पाद	तापमान सेंटीग्रेड में	हाइड्रोमीटर की रीडिंग (घनत्व)	कॉलम 3 में दर्ज रीडिंग को कॉलम 2 में दर्ज तापमान के आधार पर ASTM टेबल 53B की सहायता से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तित करने पर घनत्व (kg/m^3 में)	डीलर के रजिस्टर में जांच के समय-समय दर्ज घनत्व (15 डिग्री सेंटीग्रेड पर)	कॉलम 4 और 5 का अंतर (अनुमत सीमा +- 3.0)
1	2	3	4	5	6
पेट्रोल (MS)	28.0	728	739.6	736.8	-2.8
डीजल (HSD)	30.5	827	837.7	837.0	+0.7

***

फर्द अभिग्रहण

साक्षी:–

1. श्री .... पुत्र श्री .... उम्र .... वर्ष

   जाति .... निवासी ....

2. श्री .... पुत्र श्री .... उम्र .... वर्ष

   जाति .... निवासी ....

आज दिनांक .... को समय .... पर उपर्युक्त साक्षीगणों के समक्ष मैसर्स/परिसर/वाहन संख्या .... के मालिक/भागीदार/निदेशक/प्रबन्धक/भारसाधक/कार्यकर्ता/चालक श्री .... पुत्र श्री .... उम्र .... वर्ष, जाति .... निवासी.. के समक्ष निरीक्षण/तलाशी की कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी अभिग्रहणकर्ता द्वारा की गई है। जांच का निरीक्षण वृतांत अलग से लिखा गया है, जिसमें वर्णित अनियमितताओं से स्पष्ट है कि फर्म/व्यवसायी द्वारा.. के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या फिर किये जाने वाला है। इस कारण मै .... पद .... उक्त वर्णित आदेश में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के साथ उनके पैकेजों, आवेष्टकों, पात्रों, वाहनों, एवं लेखा पुस्तकों/दस्तावेजों को श्री.. के कब्जे से अभिग्रहण कर अपने कब्जे में लेता हूँ। अभिग्रहित वस्तुओं का विवरण निम्न है:–

इस फर्द अभिग्रहण की इबारत साक्षीगणों एवं फर्म .... के श्री.. के समक्ष लिखी गई तथा उन्हें पढ़ाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा फर्द अभिग्रहण की एक प्रति मौके पर ही दी गई।

हस्ताक्षर
जिसके कब्जे से वस्तुए जब्त की गई है

हस्ताक्षर
सुपर्दगार

हस्ताक्षर
अभिग्रहणकर्ता

साक्षी 1

साक्षी 2

प्रपत्र-~~25~~ 3

सुपुर्दगीनामा

साक्षी:–

1. श्री .... पुत्र श्री .... उम्र .... वर्ष

जाति .... पेशा .... निवासी ....

2. श्री .... पुत्र श्री .... उम्र .... वर्ष

जाति .... पेशा .... निवासी ....

मै.. पुत्र श्री ....
उम्र............ वर्ष जाति .... पेशा ....
निवासी .... का हूँ। जो आज दिनांक ....
.... को साक्षियों के समक्ष श्री .... पद प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक से उनके द्वारा अभिग्रहित माल (आवश्यक वस्तु के साथ पैकेजों/आधेरुकों/पात्रों/वाहनों/लेखा पुस्तकों/दस्तावेजों) को अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ जिसका विवरण व अमानत राशि (बाजार मूल्य/निर्धारित दर) निम्न प्रकार से है:–

उपर्युक्त अभिग्रहित माल को आज दिनांक.................... को श्री .... पद प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक ने श्री/मैसर्स.. के परिसर/वाहन के मालिक/भागीदार/निदेशक/प्रबन्धक/भारसाधक/कार्यकर्ता/चालक श्री.. .... के कब्जे से बरामद कर अभिग्रहित कर सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से सुपुर्द किया है। जिसे मैने अच्छी तरह व सही स्थिती में सम्हाल कर अपने कब्जे में ले लिया है। मैं यह भी इकरार करता हूँ कि जब कभी भी सक्षम न्यायालय या राज्य सरकार इस सुपुर्दगी शुदा उक्त वर्णित माल को जब भी और जहाँ भी पेश करने का आदेश देगें, मै आदेश की अनुपालना तुरन्त करूंगा। मैं उक्त माल में किसी प्रकार का रददोबदल (परिवर्तन) नही करूंगा और न ही खुर्द करूंगा तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित रखूंगा। इस संबंध में सक्षम न्यायालय या राज्य सरकार के किसी भी आदेश की पालना करूंगा अन्यथा राज्य सरकार/न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सुपुर्दगी दिनांक से वह मुझे सुपुर्दगी नामें की निर्धारित राशि .... रूपये अक्षरे .... मय 18 प्रतिशत ब्याज के वसूल कर सके तथा अपराधिक कार्यवाही भी कर सके तथा माल रखने की एवज मे कोई किराया नहीं लूंगा।

अतः यह सुपुर्दगीनामा मैने पूर्ण होश हवास में स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के राज्य सरकार के पक्ष मे लिख दिया जो सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे। सुपुर्दगीनामा की एक प्रति प्राप्त कर ली है।

व्यवसायी के हस्ताक्षर जिसके कब्जे से वस्तुए जब्त की गई है

सुपुर्दगी लेने वाले के हस्ताक्षर

जब्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी 1

साक्षी 2

प्रपत्र- 4

सैम्पल लेबल

स्थान..नमूना कोड.........

1. नाम व्यौहारी/संबंधित व्यक्ति (जिससे सैम्पल लिए है) ....
....

पिता का नाम ....उम्र..........वर्ष,
फर्म पर हैसियत..
पता...
....

2. उत्पाद/वस्तु का नाम...

3. स्त्रोत..

4. सैम्पल लेने की दिनांक.................. सैम्पल की मात्रा................ml

5. सील नम्बर/छाप...

प्रमाणित किया जाता है कि इस नमूने को सीलबंद करने से पूर्व कंटेनर को नमूने लिए जाने वाले उत्पाद से धोया जाकर स्वच्छ कर लिया गया है तथा लिये गये..................नमूनों में से ....नमूने मौके पर ही सीलबंद, रिसाव रहित एवं सही अवस्था में स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में उक्त वर्णित लिये गये, नमूनों का परीक्षण या अन्वेषण पूर्ण होने तक परिरक्षित रखने हेतु प्राप्त किये।

हस्ताक्षर व्यौहारी/संबंधित व्यक्ति

सैम्पल लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम/पद...

सैम्पल लेबल

स्थान..नमूना कोड.........

1. नाम व्यौहारी/संबंधित व्यक्ति (जिससे सैम्पल लिए है) ....
....

पिता का नाम ....उम्र..........वर्ष,
फर्म पर हैसियत..
पता...
....

2. उत्पाद/वस्तु का नाम...

3. स्त्रोत..

4. सैम्पल लेने की दिनांक.................. सैम्पल की मात्रा................ml

5. सील नम्बर/छाप...

प्रमाणित किया जाता है कि इस नमूने को सीलबंद करने से पूर्व कंटेनर को नमूने लिए जाने वाले उत्पाद से धोया जाकर स्वच्छ कर लिया गया है तथा लिये गये..................नमूनों में से ....नमूने मौके पर ही सीलबंद, रिसाव रहित एवं सही अवस्था में स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में उक्त वर्णित लिये गये नमूनों का परीक्षण या अन्वेषण पूर्ण होने तक परिरक्षित रखने हेतु प्राप्त किये।

हस्ताक्षर व्यौहारी/संबंधित व्यक्ति

सैम्पल लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम/पद...

सैम्पल लेबल

स्थान..नमूना कोड.........

1. नाम व्यौहारी/संबंधित व्यक्ति (जिससे सैम्पल लिए है) ....
....

पिता का नाम ....उम्र..........वर्ष,
फर्म पर हैसियत..
पता...
....

2. उत्पाद/वस्तु का नाम...

3. स्त्रोत..

4. सैम्पल लेने की दिनांक.................. सैम्पल की मात्रा................ml

5. सील नम्बर/छाप...

प्रमाणित किया जाता है कि इस नमूने को सीलबंद करने से पूर्व कंटेनर को नमूने लिए जाने वाले उत्पाद से धोया जाकर स्वच्छ कर लिया गया है तथा लिये गये..................नमूनों में से ....नमूने मौके पर ही सीलबंद, रिसाव रहित एवं सही अवस्था में स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में उक्त वर्णित लिये गये नमूनों का परीक्षण या अन्वेषण पूर्ण होने तक परिरक्षित रखने हेतु प्राप्त किये।

हस्ताक्षर व्यौहारी/संबंधित व्यक्ति

सैम्पल लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम/पद...

राज्य स्तरीय समन्वयक, आईओसीएल से प्राप्त राज्य में संचालित प्रयोगशालों की सूचना के आधार पर राज्य के जिलों को आवंटित लैब का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम एवं पता	जिलों का नाम
1	भरतपुर, आईओसीएल, Bharatpur Terminal Laboratory Indian Oil Corporation Limited Mathura Road, Dhormui Bharatpur- 321023	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर
2	सालावास, जोधपुर, आईओसीएल Jodhpur Terminal Laboratory Indian Oil Corporation Limited Salawas, Jodhpur-342013	जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर
3	चित्तौड़गढ़, आईओसीएल, Chittorgarh Terminal Laboratory Indian Oil Corparation Limited P.O. Jalampura, N.H. 79, Nimbahera Road, Chittorgarh Rajasthan-312612	उदयपुर, राजसंमद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ भीलवाड़ा
4	कोटा, बीपीसीएल LAB@KOTA Bharat Petroleum Corporation Ltd. Kota TOP, NH-27, Baran Road, Tathed, Village- Brijeshpura, Kota- 325201	कोटा, बून्दी, बांरा, झालावाड़
5	बगरू, जयपुर, एचपीसीएल HPCL QC LAB HPCL Jaipur Terminal RIICO Industrial Area, Bagru Chhitaroli, Village Jaipur- 303007	अजमेर, टोंक
6	मोहनपुरा, जयपुर, आईओसीएल Jaipur Terminal Laboratory Indian Oil Corporation Limited Mohanpura Prithvisingh, Renwal Mohanpura, Jaipur-333904	जयपुर, दौसा
7	जोबनेर, जयपुर, बीपीसीएल LAB@JAIPUR Bharat Petroleum Corporation Ltd. Village Asalpur, Mahla-Jobner Road, Tehsil Phulera, Dist. Jaipur- 303331	बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, झुंझूनू